निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 34 / 2023
दायरा दिनांकः—20.06.2023
निर्णय दिनांकः— 17-12-25

उनवान

1. रामदयाल आयु 65 वर्ष आत्मज भंवरलाल जाति धाकड
2. नन्दकिशोर आयु 60 वर्ष आत्मज भंवरलाल जाति धाकड
3. धन्नालाल आयु 58 वर्ष आत्मज भंवरलाल जाति धाकड
4. मांगी बाई आयु 54 वर्ष आत्मज भंवरलाल जाति धाकड
5. भंवरलाल आयु 50 वर्ष आत्मज माधोलाल जाति धाकड
6. ज्ञानप्रकाश आयु 50 वर्ष आत्मज माधोलाल जाति धाकड
7. शिवनारायण आयु 75 वर्ष आत्मत किशनलाल जाति धाकड
8. हंसराज आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड
9. शंकरलाल आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड
10. कान्हा आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड
11. रामप्रसाद आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड
12. सावित्री आई आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड
13. कौशल्या बाई आयु 45 वर्ष आत्मज रामचरण जाति धाकड निवासीगण खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. भैया उर्फ अकिम आयु 45 वर्ष पुत्र अब्दुल रशीद जाति मुसलमान निवासी खांखरा
2. मन्ना आयु 78 वर्ष पुत्र गिरधारी जाति धाकड निवासी खांखरा
3. गणेश आयु 71 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी खांखरा
4. देवलाल आयु 63 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी खांखरा
5. छोटीया आयु 52 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी खांखरा
6. राधेश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः— 17-12-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — प्रार्थी
2. श्री दीपक वर्मा — अप्रार्थी 1,3 ता 7,2

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बारई तहसील छबडा ने वादीगण के आधिपत्य खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 219 अवस्थित है। जो वादीगण की जिविकापार्जन का साधन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कृषि भूमि है। प्रार्थीगण के आधिपत्य खातेदारी की उक्त कृषि आराजी खसरा न. 219 पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता प्रतिवादीगण क्रम 2 लगायत 7 के खातेदारी की भूमि खसरा न. 217 की पूर्वी मेढ के सहारे बना हुआ है। जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण एवं उनके पूर्वज व उनके कृषि मजदूर बिना किसी बाधा के शान्ती पूर्वक गत 50–60 वर्षो से निरन्तर आज तक अपनी कृषि भूमि पर कृषि साधनो को लाने–ले जाने, हकाई–जुताई बुआई हेतु उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण अपनी आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ता 15 फिट चोडा को वाद पत्र के प्रस्तुत नजरी नक्शे में बिन्दू ABC लालस्याही से प्रदर्शित किया गया है। नजरी नक्शा वादपत्र का अंग है। उक्त रास्ता ABC प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त कृषि आराजी खसरा न. 219 से खांकरा से दुधरानी वाले से लगवां अवस्थित है। उक्त रास्ते ABC जिसके सहारे प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 7 की भूमि खुसरा न. 217 अवस्थित है। दुसरी तरफ प्रतिवादी क्रम 1 की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा न. 796 है जिसकी पश्चिमी मेड के सहारे उसका हिस्सा है। जो आज भी मौके पर काबिज है। उक्त रास्ते का वादीगण शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते हुऐ चले आ रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 भैया द्वारा दिनांक 13.10.2021 को उक्त प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 7 की भूमि खसरा न. 217 के पूर्वी मेढ एवं उसके लगवां रास्ते की भूमि पर जानबूझकर जबरन बलपूर्वक व कपट पूर्वक अवैध रूप से वादीगण को परेशान करने व रास्ते वादीगण को बन्द करने की नियत पर अस्थायी तोर पर लोहे की जाली लगा दी। जिससे वादीगण को अपनी भूमि पर आने–जाने से परेशानी हो रही है। वादीगण उक्त रास्ते की भूमि जो प्रतिवादीगण क्रम 2 ता 7 के खातेदारी मे होने से उक्त रास्त का उचित प्रतिकर प्रतिफल देने को तैयार हैं। वादीगणं के खेत पर आने–जाने का यही एक मात्र स्थान है जहां से रास्ता की आंत्यान्तिक आवश्यकता है। यदि उक्त रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में प्रार्थीगण की काश्तकारी समाप्त हो जावेगी। एवं उनकी भूमि अनुपयोगी हो जावेगी। उक्त स्थान के अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प मोजूद नही है। प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर जबरन बलपूर्वक व कपट पूर्वक अवैध रूप से वादीगण को परेशान कर उक्त रास्ता वादीगण ABC जो 15 फिट चोडा को बन्द करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा उसके रास्ते ABC का शान्ती पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पूर्व में कई बार कहा तथा अन्तिम बार दिनांक 13.10.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते वादीगण को अपने खेतो में उक्त विवादीत रास्ते से हो जाने पर मना किया तथा प्रतिवादीगण आक्रोश में आकर वादीगण को मां बहन की गन्दी गन्दी गालीया देते हुऐ प्रतिवादी द्वारा वादीगण के हाथ पैर काट देने तथा जान से खत्म करने व भविष्य में उक्त रास्ते वादीगण ABC को स्थायी बन्द करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074--77 खाता संख्या 230 नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 180 नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 159 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बारई सम्वत् पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र मिथ्या एवं मनगंढत आधारों पर प्रस्तुत किया है। मौके पर कोई स्थायी रास्ता मौजुद नही है। बल्कि आस–पास के सभी खातेदार काश्तकार अपनी–अपनी मेढ से होकर काश्त करते है तथा ट्रेक्टर आदी भी जमीन पढत रहने के दौरान लाते ले जाते है। वादीगण द्वारा खसरा नं. 217 की पूर्वी मेढ पर कथित रूप से जो रास्ता बताया है व मौके पर मौजूद नही है। इस मेढ पर 15 फिट चोडा रास्ता स्थापित किया जाना किसी भी प्रकार से विधि अनुरूप भी नही है। उक्त रास्ते के निर्माण से प्रतिवादीगण की भूमि अनुपयोगी हो जावेगी। विकल्प मे वादीगण चाहे तो प्रतिवादीगण कि भूमि खसरा नं. 217 एवं खसरा नं. 796/2 के मध्य स्थित मेढ पर से आ जा सकते है तथा अपनी भूमि पर हकाई उराई व कृषि कार्य करने हेतु ट्रेक्टर आदि भी ले जावे तो प्रतिवादीगण उनसे मना नही करेगें लेकिन उक्त मेढ पर स्थाई रूप से रास्ता दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही होगा। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 219 पर आने जाने का रास्ता एक मात्र अप्रार्थी क्रम 2 ता 7 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 217 की पूर्वी मेढ के सहारे बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण व उनके पूर्वज लगभग 50–60 वर्षो से कृषि साधनों को लाने ले जाने हकाई जुताई हेतु उपयोग उपयोग करतें चले आ रहे है। उक्त रास्ता प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 217 के सहारे की मेड पर एवं दुसरी तरफ अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 796 के पश्चिमी मेड के सहारें उसका हिस्सा है। जो आज भी मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते से आते जाते थे। अप्रार्थी क्रम 1 भैया द्वारा प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 की भूमि खसरा नम्बर 217 के पूर्वी मेड एवं उसके लगवा रास्ते की भूमि पर जानबुझकर प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से रास्ता बन्द कर जाली लगा दी जिससे प्रार्थीगण को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीगण को फसल काश्त करने मे काफी परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण को सुलभ और नजदीक रास्ता और कही होकर नही है। सबसे नजदीक रास्ता उक्त स्थान के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 219 पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 217 की पूर्वी मेढ के सहारें 15 फुट चौडा दिया जावें। जिससे प्रार्थीगण को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पडे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मिथ्या एवं मनगंढत तथ्यों पर पेश किया है। मौके पर कोई स्थायी रास्ता नही है। आस पास के सभी खातेदार अपनी–अपनी मेढ से होकर जाकर काश्त करतें है। तथा टेक्ट्रर आदि भी जमीन पडत रहने के दौरान लातें ले

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

5. ...राज 9. राधेश्याम 10. कन्हैया 11. रामप्रसाद

जावें है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 217 की पूर्वी मेढ पर जो रास्ता बताया है वह मौके पर मौजुद नही है। इस मेढ पर 15 फुट चौडा रास्ता स्थापित किया जाना किसी प्रकार से विधि अनुरूप नही है। प्रार्थीगण चाहे तो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 217 एवं खसरा नम्बर 796/2 के मध्य स्थित मेढ पर से आ जा सकते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए कभी मना नही किया और ना ही करेगें। प्रार्थीगण को स्थाई रूप से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छवडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छवडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बारई में खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 219 रकबा 1.2899 है0 में खातेदार रामदयाल, नन्दकिशोर धन्नालाल पुत्रान भवंरलाल शिवनारायण पुत्र सुन्दर बाई पत्नि किशनलाल दाखा बाई पुत्री किशनलाल हंसराज शंकरलाल कान्हा रामप्रसाद पुत्रान कौशल्या बाई सावित्री बाई पुत्रीया पार्वती बाई पत्नि स्व0 रामचरण जाति धाकड निवासी खांखरा दर्ज रिकार्ड जो कि पत्रावली में वर्णित खसरा नम्बर 219 में जाने हेतु खसरा नम्बर 219 के आस पास कोई भी रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थी वादीगण दर्ज रिकार्ड माल ग्राम बारई के खसरा नम्बर 217 के खातेदार गणेश, छोटिया देवलाल मन्ना राधेष्याम पुत्रान गुलाब बाई पत्नि स्व0 हीरा जाति धाकड सा0देह खांखरा के खेत खसरा नम्बर 217 की पूर्वी दिशा की मेढ व खसरा नम्बर 796 की मेढ पश्चिमी दिशा मे से होकर प्रतिवादीगण की सहमति से आता जाता था। जो प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान में तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया है। उक्त खसरे पर जाने के लिए प्रार्थीगण के पास कोई वैकलपिक रास्ता नही है। व नजरी नक्शे में दर्शाया गया मार्ग लघुत्तम है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 230 के खसरा नम्बर 219 रकबा 5.02 बीघा प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 180 के खसरा नम्बर 217 के खातेदार मुन्ना पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/2 गणेश देवलाल, छोटिया, राधेश्याम पुत्र हीरा मु गुलाब बेवा हीरा हिस्सा 1/2 अप्रार्थी क्रम 2 ता 7 के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 159 में खसरा नम्बर 796 रकबा 13.03 बीघा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इससे यह सावित होता है कि खसरा नम्बर 217 एवं खसरा नम्बर 796 अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 217 व खसरा नम्बर 796 की मेड से 15 फिट का रास्ता चाहता है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार छवडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छवडा ने वताया कि खसरा नम्बर 219 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 217 व 796 की मेड के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई अन्य वैकलपिक रास्ता नही होना वताया है। तहसीलदार छवडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 219 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 217 व 796 की मेड से दोनो तरफ 15 फुट का रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। उक्त रास्ते के बदले प्रार्थीगण वर्तमान डी0एल0सी0 दर से दुगुना राशि तहसील कार्यालय मे जमा करावे। तहसीलदार छबडा प्राप्त राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार किया जावें, बाद नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया अपनाने पर, रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (रा.)